मंत्रपिरषिद के महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों?

5 जनवरी, 2022 को बिहार मंत्रपिरषिद की बैठक में कुल कई महत्त्वपूर्ण एजेंडों पर निर्णय लिया गया।

प्रमुख बिंदु

- मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के विशेष सचिव उपेंद्र नाथ पांडेय द्वारा बताया गया कि आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रित को 4 लाख रुपए प्रति मृतक की दर से अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान राज्य संसाधन से करने के निमित्त वित्तीय वर्ष 2021-22 में वर्तमान उपबंध के अतिरिक्त 105 करोड़ रुपए बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गई।
- आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रित को पचास हज़ार रुपए प्रति मृतक की दर से अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान करने के निमित्त वित्तीय वर्ष 2021-22 में वर्तमान उपबंध के अतिरिक्त 20 करोड़ रुपए बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गई।
- वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत बिहार पेशा कर नियमावली, 2011 में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।
- नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के आलोक में 1 नए नगर निकाय (मुंगेर में असरगंज) का गठन एवं 3 नगर निकायों (मुज़फ्फरपुर नगर निगम का विस्तार, दरभंगा से बिरौल तथा घनश्यामपुर नगर पंचायत) का क्षेत्र विस्तार की स्वीकृति दी गई।
- मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अंतर्गत प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी स्व. कविराज राम लखन सिंह 'बैद्य', शहीद नाथून प्रसाद यादव, स्व. शीलभद्र याजी, स्व. मोगल सिंह एवं स्व. डुमर प्रसार सिंह के सम्मान में नगर परिषद क्षेत्र बख्तियारपुर के अंतर्गत स्थापित प्रतिमा स्थल पर प्रत्येक वर्ष की 17 जनवरी को राजकीय समारोह का आयोजन किये जाने की स्वीकृति दी गई।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/important-decisions-of-the-council-of-ministers-2